न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर

पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या 46/2017/ गुण्डा एक्ट

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, सीकर।

सायल

बनाम

बनवारीलाल पुत्र बंशीधर, जाति कुमावत, निवासी मुण्डरू, थाना श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

गैरसायल

उपस्थितः—

1. सायल की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।
2. गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री देवीलाल कुमावत उपस्थित आये।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

निर्णय

दिनांक : 11-2-2019

1. पुलिस अधीक्षक सीकर ने गैरसायल **बनवारीलाल पुत्र बंशीधर**, जाति कुमावत, निवासी मुण्डरू, **थाना श्रीमाधोपुर, जिला सीकर** के विरूद्ध यह इस्तगासा इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 03 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत किया है।

2. पुलिस अधीक्षक सीकर ने प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है कि गैरसायल **बनवारीलाल पुत्र बंशीधर, जाति कुमावत,** निवासी मुण्डरू, थाना श्रीमाधोपुर, जिला **सीकर** का रहने वाला है। जो बचपन से ही गलत संगत में पड़कर जुआ खेलने का आदतन अपराधी हो गया है। यह व्यक्ति जिला सीकर के श्रीमाधोपुर क्षैत्र में जुआ खेलता व खिलाता है। इस व्यक्ति का यह कृत्य विधि विरूद्व है। इस व्यक्ति के विरूद्ध जुआ अधिनियम के तहत कुल **04** अभियोग पंजीबद्व होकर चालान न्यायालय में पेश किये गये। जिनमें गैरसायल को न्यायालयों द्वारा **04** अभियोगों में सजा हो चुकी है। इस प्रकार गैरसायल जुआ खेलने का आदतन अपराधी है। जिससे आम जनता गवाही देने से भी भयभीत है। गैरसायल राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 2 के पैरा (आ) की उपधारा 5 में वर्णित अपराध करने में लिप्त है। अतः गैरसायल के विरूद्व इस्तगासा अन्तर्गत धारा 03/10 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 मे प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि इसके विरूद्व विधि सम्मत कार्यवाही की जावें ताकि क्षैत्र में जुआ खेलने आदि का अपराध न किया जावे।

3. इस्तगासा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3/10 के अधीन नोटिस जारी किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

4. गैरसायल ने जरिये वकील उपस्थित होकर जवाब में अभिकथन किया है कि वह एक गरीब मजदूर व्यक्ति है, जो मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है तथा वह किसी भी प्रकार का कोई जुआ नहीं खेलता है और न ही किसी को खिलाता है। गैरसायल के चार बच्चे हैं जिसमें दो लड़के व दो लड़किया हैं। दोनों बच्चीयों की शादी कर दी है। गैरसायल के पर वर्तमान में किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन नहीं हैं। गैरसायल के विरूद्व जो ताशपती के समबन्ध में मुकदमा दर्ज हुआ जिसके कारण गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार कर नियमानुसार न्यायालय द्वारा जुर्माना किया जाने पर उसे जमा करवा दिया तत्पश्चात न्यायालय ने गैरसायल को परिविक्षा अधिनियम के तहत लाभ देकर छोड़ दिया गया है। वर्तमान में गैरसायल के विरूद्व किसी प्रकार का कोई मुकदमा न्यायालय में लम्बित नहीं है। अतः इस्तगासा निरस्त फरमाया जावे।

5. हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक सीकर की रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर है कि गैरसायल के विरूद्व आरपीजीओ अधिनियम के तहत कुल 04 अभियोग वर्ष 2011 से 2017 में पंजीबद्व होकर चालान न्यायालय में पेश किये, जिनमें गैरसायल को सजा हुई है।

6. मुताबिक इस्तगासा गैरसायल के विरूद्व प्रकरण दर्ज होने के दो माह पूर्व की अवधि में 13 आरपीजीओ का आपराधिक प्रकरण धारा 2(ख) के तहत दर्ज होना प्रतीत होता है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर द्वारा डीबी किमीनल रिट पिटीशन नम्बर 5715/2000 निर्णय दिनांक 06.12.2001 देवेन्द्र जैन बनाम सरकार में व्यवस्था दी है कि "(ख) राजस्थान गुण्डा नियत्रंण अधिनियम 1975, धारा 3(3) कार्यकार मजिस्ट्रेट को ऐसी मनमानी शक्ति प्रदान करती है, जिसके तहत वह किसी भी व्यक्ति को मूलभूत मानवीय अधिकारों से वंचित करते हुए ऐसे स्थान पर भेज सकता है जहां आवास, भरण पोषण आदि की व्यवस्था न होती है– ये ऐसे अयुक्तियुक्त निर्बन्धन है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ख) व (ड) एवं अनुच्छेद 21 के तहत नागरिक के अधिकारों का अतिलंघन करते हैं– अधिनियम की धारा 3(3) व भारत का संविधान, अनुच्छेद 19(1)(ख) व (ड) एवं अनुच्छेद 21 के अधिकारातीय एवं अकिमणकारी होने के कारण अभिखण्डित की गई– देश निकाला देने का आदेश अपास्त किया।" ऐसी स्थिति में गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 03 के तहत सायल द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः सायल द्वारा प्रस्तुत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 03 के तहत प्रस्तावित कार्यवाही निरस्त/ड्रॉप किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांकः 11-2-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner